न्यायालय नायब तहसीलदार उदयपुरवाटी जिला झुंन्झुनूं

मु.न.	दायर दिनांक	अ. धा.	निर्णय दिनांक
25 / 2017	07.07.2017	91 एल.आर.एक्ट	28.07.2017

सरकार बनाम कल्याणमल पुत्र भगवाना जाति माली निवासी काटलीपुरा

28.07.2017 पत्रावली आज पेश हुई। अतिक्रमी अनुपस्थित । पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया गया। प्रकरण संक्षिप्त में निम्न प्रकार से है कि पटवारी हल्का पचलंगी नें सम्वत 2074 में इस आश्य की रिपोर्ट प्रस्तुत की कि मोजा ग्राम काटलीपुरा के ख0न0 331 रकबा 2.70 है0 किस्म गै0मु0 चारागाह में से 1344 वर्ग फिट पर कल्याणमल पुत्र भगवाना जाति माली निवासी काटलीपुरा ने नींव भरकर पक्का निर्माण अतिक्रमण किया है। रिपोर्ट पटवारी हल्का पचलंगी के आधार पर प्रकरण रा0 लैण्ड रेवन्यु एक्ट 1956 की धारा 91 एल.आर.एक्ट के तहत दर्ज रजिस्टर किया गया अतिक्रमी को जरिये सम्मन नोटिस अ0 धा0 91 एल.आर.एक्ट के तहत तलबी सम्मन नोटिस जारी की गये ।

रिपोर्ट पटवारी हल्का पचलंगी एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड सबुत दस्तावेज का अवलोकन किया गया। अतिक्रमीगण द्वारा किया गया अतिक्रमण अवैध हैचूंकी भूमि किस्म गै0मु0 चारागाह हैं, अवैध एवं नियमों के अनुसार नहीं होने के कारण अतिक्रमीगण द्वारा किया गया अतिकमण प्रस्तुत दस्तावेज के अनुसार लगातार कब्जा साबित नहीं होने के कारण नियमन की तारीफ में नहीं आता है। अतः अतिक्रमीगण को रा0 लैण्ड रेवन्यु एक्ट 1956 की धारा 91के तहत अतिकमी घोषित किया जाता है तथा जेर बहस रिपोर्ट भू0अ0नि0 / पटवारी हल्का पर से बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते है। तथा भू0अ0नि0 / पटवारी हल्का को लिखा जावे की अतिक्रमीगण को अतिक्रमण शुदा रकबे पर से भौतिक रूप से बेदखल कर बेदखली रिपोर्ट पेश करें। आदेश बेदखली पारीत होने पर पृथक से इजराई रजिस्टर में पत्रावली दर्ज की जाकर भौतिक बेदखली रिपोर्ट पटवारी हल्का से प्राप्त कर दर्ज करें ।

अतिक्रमीगण द्वारा गै0मु0 चारागाह भुमि पर अवैध रूप से अतिक्रमण कर लिये जाने के दण्ड स्वरूप सरह लगान 1 रू का 50 गुणा तावान की कुल राशि 50/– अक्षरे ~~दस~~ पचास रूपये मात्र बतौर शास्ती पैलन्टी जुर्माना आरोपित किये जाते है। पटवारी हल्का एवं तहसील राजस्व लेखाकार को जमा कायमी वसुली तथा बेदखली रिपोर्ट पेश करने हेतु लिखा जावे पत्रावली दर्ज फैसल होकर नम्बर शुमार से कम हो। पत्रावली बाद तकमील जाप्ता कार्यवाही संग्रह भण्डार हो। निर्णय मेरे द्वारा पृथक से टंकण करवाया जाकर आज दिनांक 28.07.207 को खुले न्यायालय मे पढ़कर सुनाया गया।

नायब तहसीलदार
उदयपुरवाटी